# फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी

कमली ........................ बनाम ........ दुर्जन राम ........ अप्रार्थीगण

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. ......89....... / 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|
| 1/8/22 | प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री ......शिव कुमार...... के अन्तर्गत धारा 212 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु तलब किया जावे। सम्मन जरिये रजि. डाक से भिजवाये जावे। मिसल दिनांक ...18/8/22... को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | |
| 18/8/22 | पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी स. 1 से 5 की ओर से वकील श्री गोविन्द राम ढाका ने वकालतनामा पेश किया। जो सा. मिसल है। अप्रार्थी स 6 व 7 परफोर्मा पक्षकार है। प्रार्थी के वकील ने प्रकरण अत्यावश्यक बताकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी जारी करने हेतु बहस सुनने का निवेदन किया। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दलील दी कि खेत ख. न. 270/1, रकबा 4.1763 हेक्टेयर तथा खेत ख न. 409/1, रकबा 8.0451 हैक्टे. मौजा खेराट में अप्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज खातेदारी है, जो कि पुश्तैनी बँडर के खेताय है। जिसमे प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा है जिसका अभी खाता विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी स. 1 विवादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी स. 2 से [illegible] मिलकर बेच सकते है [illegible] अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसे मे [illegible] भूमि पर अप्रार्थीगण के [illegible] निषेधाज्ञा जारी की [illegible] प्रार्थी ने बहस कर निवेदन किया कि [illegible] ग्रस्त भूमि पक्षकारान की बँडर की पुश्तैनी भूमि है किन्तु अप्रार्थीयों द्वारा उसे बेचने की कोई मंशा नही है।<br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | 18/8/22<br>AGW |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by Scanner Go

वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम द्रष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का कारण भी नहीं प्रतीत होता है। उक्त वाद ग्रस्त भूमि का 53, 88 RT. Act का वाद भी इसी न्यायालय में विचाराधीन है। दोनो पक्षो ने वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होना स्वीकार किया है। ऐसे में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। मिसल निर्णय नम्बर से कम होकर बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by Scanner Go